न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

पीठसीन अधिकारी– बी. एल. कोठारी, आई.ए.एस

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 258/2017

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. देवीसिंह पुत्र श्री किशनसिंह		1. नरेन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह
2. पुखराजसिंह पुत्र श्री किशनसिंह		2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह
3. मोहनसिंह पुत्र श्री किशनसिंह		3. महेन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह
समस्त जातियान पुरोहित		4. श्रीमती छोटीदेवी पत्नी नरपतसिंह
निवासीगण बडली पुरोहितान		निवासीगण–रघुनाथ जी की बावडी
तहसील एवं जिला जोधपुर		चांदपोल, जोधपुर
		5. रेखा पुत्र नरपतसिंह पत्नी नरपतसिंह
		गहलोत निवासी चार खम्बो की गली
		मगरा पूंजला जोधपुर
		6. गजेन्द्रसिंह पुत्र कैलाश
		7. जयप्रकाश पुत्र कैलाश
		8. चन्द्रप्रकाश पुत्र कैलाश
		9. कमला पत्नी कैलाश
		समस्त निवासीगण रघुनाथजी की
		बावडी चांदपोल जोधपुर
		10. कुसुम पुत्री कैलाश पत्नी कमलेश
		गहलोत निवासी विद्याशाला स्कूल के
		सामने चांदपोल जोधपुर
		11. लीला पुत्री स्व. चौथाराम पत्नी
		श्यामलाल परिहार निवासी सोजतीगेट
		मोहनपुरा पुलिया के सामने जोधपुर
		12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

द्वितीय राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम खिलाफ आदेश दिनांक 9.6.2017 जो जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 27/2016 बअनवान नरेन्द्रसिंह वगैरा बनाम किशनसिंह के कायम मुकाम वगैरा में पारित किया।

उपस्थितिः––

1.श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2.श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1 ता 11 की ओर से
3.श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 12 की ओर से।

::निर्णय::

दिनांकः 16 सितम्बर, 2019

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत द्वितीय राजस्व अपील जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 27/2016 अनवान नरेन्द्रसिंह वगैराह बनाम किशनसिंह वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 9.6.2017 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा जिला कलेक्टर जोधपुर ने अपीलाधीन नामा0 संख्या 124 दिनांक 26.4.1973 ग्राम बडली को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया गया।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया तथा रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये।

3. दौरान सुनवाई उपस्थित अभिभाषकगण के द्वारा की गई बहस को सुना। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया गया कि ग्राम बडली के वादग्रस्त खसरा संख्या 235 रकबा 14.19 बीघा भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा सेटलमेन्ट पूर्व से चला आ रहा है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं फरमा कर अपीलाधीन नामा0 को निरस्त करने में भारी भूल की है।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूरा अवसर भी नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टस ने यह कहीं भी जाहिर नहीं किया था कि चौथा अथवा उसके पुत्र ने अपने जीवन काल में किसी प्रकार की उजरदारी क्यों नहीं की तथा

अपीलान्टस जो की चौथा के पौत्र होना जाहिर करते है उस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी सबूत न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी सूरत में अधिनस्थ न्यायालय को इसी आधार पर अपील खारिज करनी चाहिए थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिले खारिज के है।

5. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपील विचारण के दौरान रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता को यह स्पष्ट आदेश दिनांक 29.08.2016 को दिया था कि वे रेस्पोडेन्टस की तामील रजिस्टर्ड ए.डी. प्रोसेस से जारी करने का किया था परन्तु अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय में रेस्पोडेन्टस/अपीलान्ट ने प्रोसेस से नोटिस पेश नहीं किये और न ही अदालत के आदेशों की पालना पूर्ण की। इस आधार पर भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिले खारिज है।

6. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया गया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 124 ग्राम बडली जिस आदेश से भरा गया था, उस आदेश को चुनौती देने हेतु राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील की जा सकती है। किसी खातेदार के द्वारा धारित खातेदारी अधिकारों को धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत नामान्तरकरण कार्यवाही के जरिये निरस्त नहीं किये जा सकते ओर न ही उक्त प्रावधानो के तहत प्रथम अपील मेन्टेनेबल ही थी।

7. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया गया कि उक्त खसर भूमि पर अपीलान्टस बहैसियत खातेदार पिछले 44 वर्ष से अधिक समय से काबिज है तथा भूमि पर अपीलान्टस ने कुएं खुदवाया जाकर उस परविद्युत कनेक्शन लिये हुए है। अपीलान्टस के खातेदारी अधिकार नामान्तकरण की अपील से निरस्त नहीं किये जा सकते है। इस बिनाय पर अधिनस्थ न्यायालय निर्णय काबिले खारिज है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 के द्वारा अपील के सलंग्न प्रस्तुत धारा म्याद अधिनियम के प्रावधानों को भली भांती नहीं समझ कर प्रथम अपील स्वीकार को करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जावें एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.6.2017 को खारिज फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 124 ग्राम बडली को यथावत बहाल रखा जावें।

8. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया गया कि गांव बडली तहसील जोधपुर की कृषि भूमि खसरा नं. 235 रकबा 14 बीघा बिस्वा के मूल खातेदार चौथा पुत्र भोमा हुआ करते थे। खातेदार चौथा का स्वर्गवास हो चुका था तथा उनके वारिसान में उनके दो पुत्र नरपतसिंह व कैलाश तथा पुत्री लीला हुए जिनमें से नरपसिंह व कैलाश का भी स्वर्गवास हो चुका था जिनके वारिसान वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 10 है तथा अपीलार्थी संख्या 11 उनकी पुत्री लीला है। स्व. चौथा के स्वर्गवास के पश्चात से ही उनके पुत्र नरपतसिंह व कैलाश काबिज रहकर काश्त करते रहे और अब इस भूमि पर अपीलार्थीगण काश्त करते आ रहे है। हम रेस्पोडेन्ट को यह जानकारी हुई कि पूर्व में धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी का नामान्तरकरण किशनसिंह के नाम दर्ज हुआ है एवं वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में अपीलान्टस एक ता तीन का नाम दर्ज है। तब रेस्पोडेन्टस ने तहसीलदार द्वारा धारा 19 के तहत पारित आदेश की नकल दिनांक 20.4.2016 को मांगी तब दिनांक 8.7.2016 को उक्त नामान्तरकरण नकल जारी की गई। तब जानकारी होने के पश्चात प्रथम अपील अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थी।

9. रेस्पोडेन्टस अभिभाषक ने यह कथन किया गया कि अपीलाधीन नामा0 को स्वीकृत किये जाने में तहसीलदार जोधपुर के जिस आदेश को आधार माना गया है। वैसा कोई आदेश कभी भी पारित ही नहीं किया गया एवं न ही तहसीलदार द्वारा पारित किया जा सकता था क्योकि धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार ने पारित कर भी दिया तो वह अपने आप मे शून्य हैं क्योंकि धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसे आदेश केवल सहायक कलेक्टर द्वारा ही पारित किये जा सकते है और ऐसे आदेश के आधार पर कोई नामान्तरकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर भी नामा0 निरस्त करने योग्य था।

10. रेस्पोडेन्टस अभिभाषक ने यह भी कथन किया गया कि हम रेस्पोडेन्टस उपरोक्त कृषि भूमि पर बहैसियत खातेदार के काबिज चले आ रहे है अपीलान्टस का इस भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। तत्कालीन तहसीलदार जोधपुर ने एक अनाधिकारपूर्ण कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेन्टस को उसके जायज अधिकारो से वंचित

करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त राजस्व रेकर्ड में चौथा के पिता के नाम लिखे जाने के स्थान को रिक्त छोडा हुआ है राजस्व कर्मचारियो ने चौथा के पिता का नाम भोमा होते हुए भी नहीं लिखा जबकि स्व. भोमा की खातेदारी की अन्य भूमिया भी उनके पुत्र चौथा के नाम दर्ज की गई व उनके पश्चात वर्तमान में रेस्पोडेन्टस के नाम भी इन्द्राज है। इसी प्रकार ग्राम के अन्य खसरा नं. 235 के राजस्व रेकर्ड दर्ज चौथा के बजाय उनका नाम छोता लिखा है जबकि वास्तव में वह चौथा ही थे। ऐसे में उक्त खाते में त्रृटिपूर्ण एन्ट्री हो रखी थी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा इन्हीं आधारों पर हम रेस्पोडेन्टस की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 124 को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया है, वह विधि अनुकूल उचित है जिसे यथावत बहाल रखा जावे एवं अपीलान्टस की अपील को खारिज किया जावें।

11. हमने उपस्थित योग्य अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस को सुना तथा प्रस्तुत अभिलेख, दस्तावेजों इत्यादि का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील में संस्थित रेस्पोडेन्टगण की तामीली कार्यवाही करवाने हेतु आदेशिका दिनांक 29.8.2016 के अनुसार अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा रेस्पोडेन्ट के नोटिस रजिस्टडी एडी से भिजवाने की स्वीकृति चाही जिस पर न्यायहित में अपीलार्थी के अधिवक्ता के खर्चे पर रेस्पोडेन्टस संख्या 1/1 से 1/3 के नोटिस रजिस्टर्ड ए0डी0 एवं प्रोसेज दोनों प्रकार के जारी होने के निर्देश दिये गये है। परन्तु प्रथम अपील अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा उक्त निर्देशों की पालना में केवल मात्र रजिस्टर्ड ए.डी. के माध्यम से ही नोटिस भिजवाये गये, अन्य प्रोसेज से नोटिस नहीं भिजवाये जाना पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है।

12. इसके अतिरिक्त प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा भी रेस्पोडेन्टस को जारी रजिस्टर्ड ए.डी. के नोटिस पुनः प्राप्त नहीं होने तथा नोटिस जारी होने की अवधि 30 दिवस से अधिक हो जाने के कारण रेस्पोडेन्टस की तामीली पर्याप्त मान ली गई है, वो भी सीपीसी के प्रावधानों के अनुरूप उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार वर्तमान अपीलान्टस के अधिवक्ता की ओर से उठाये गये आब्जेक्शनों का हम समर्थन करते है। ऐसे में प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील में सम्पादित की गई

कार्यवाही दूषित प्रतीत होती है। हमारा विनम्र मत है कि विद्वान जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु जिला कलेक्टर जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा।

13. चूंकि न्यायालय हाजा के समक्ष दोनों पक्षों वर्तमान अपीलान्टस एवं वर्तमान रेस्पोडेन्टस दौरान सुनवाई उपस्थित हो गये है ऐसे में प्रथम अपील न्यायालय को अब इनकी पुनः तामीली की आवश्यकता नहीं है।

आदेश

14. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु जिला कलेक्टर जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान अधिवक्तागण प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.10.2019 को सुनवाई हेतु उपस्थित रहे। निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर